20/6/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम नीमोद स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 301 की खातेदारी में प्रार्थी के मृतक भाई का नाम राजेश पुत्र गिरधारी गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी के मृतक भाई का सही नाम कैलाशचन्द पुत्र गिरधारी है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के मृतक भाई का बोलता नाम राजेश पुत्र गिरधारी गलत दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपने मृतक भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, कक्षा 6 की अंकतालिका, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक व ग्राम पंचायत खादरा का प्रमाण पत्र 29.12.2021 आदि की प्रतियां पेश की जिनमें प्रार्थी के मृतक भाई का सही नाम कैलाशचन्द पुत्र गिरधारी दर्ज है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में गवाहान लीलाराम कुमावत पुत्र बोदूराम कुमावत जाति कुम्हार निवासी नीमोद, राजेन्द्र पुत्र खूबाराम जाति बलाई निवासी नीमोद, ममता पुत्री गिरधारी लाल जाति बलाई निवासी नीमोद व विमला देवी पत्नी गिरधारी लाल जाति बलाई निवासी नीमोद का लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के मृतक भाई का नाम गलत दर्ज है। खातेदार प्रार्थी के मृतक भाई के सही नाम की पुष्टि मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, कक्षा 6 की अंकतालिका, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक व ग्राम पंचायत खादरा का प्रमाण पत्र 29.12.2021 तथा गवाहान लीलाराम कुमावत पुत्र बोदूराम कुमावत जाति कुम्हार निवासी नीमोद, राजेन्द्र पुत्र खूबाराम जाति बलाई निवासी नीमोद, ममता पुत्री गिरधारी लाल जाति बलाई निवासी नीमोद व विमला देवी पत्नी गिरधारी लाल जाति बलाई निवासी नीमोद के लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)

Scanned with OKEN Scanner